रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 756 ] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 1998/अग्रहायण 5, 1920
No. 756] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 1998/AGRAHAYANA 5, 1920

## पर्यावरण और वन मंत्रालय

### आदेश

नई दिल्ली, 26 नवम्बर,1998

**का. आ. 991 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के आदेश सं. जे-17011/18/96-आईए-III, तारीख 13 अगस्त, 1998 को उन बातों के सिवाए प्रतिस्थापित करते हुए, जिन्हें ऐसे प्रतिस्थापन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) के नाम से ज्ञात, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए एक प्राधिकरण का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अपर सचिव (समाधात निर्धारण)<br>पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली | अध्यक्ष |
| 2. | मुख्य नगर नियोजक<br>शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली | सदस्य |
| 3. | महानिदेशक (पर्यटन)<br>पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली | सदस्य |
| 4. | मछली उद्योग विकास आयुक्त<br>कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली | सदस्य |
| 5. | संयुक्त सचिव (पत्तन)<br>जल भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली | सदस्य |
| 6. | निदेशक, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थापन, पंजिम, गोआ | सदस्य |
| 7. | निदेशक, केन्द्रीय सामुद्रिक मत्स्य अनुसंधान संस्थान, कोचीन | सदस्य |
| 8. | फादर थोमस कोचेरी<br>समन्वयकर्ता,<br>वर्ल्ड फोरम आफ फिश हारवेस्टर्स एण्ड फिश वर्कर्स (डब्ल्यूएफएफ)<br>बेलियथुरा, थिरुवअन्नतपुरम् | सदस्य |
| 9. | श्री बाल माने<br>अध्यक्ष, रत्नगिरि डिस्ट्रिकट,<br>फिशरमैन एसोसिएशन,<br>रत्नगिरि, महाराष्ट्र | सदस्य |
| 10. | श्री शिव काशीनाथ नाइक,<br>सरपंच, शियोरोडा केरवाडी,<br>तहसील वेंगुरला,<br>जिला सिंधुदुर्ग,<br>महाराष्ट्र | सदस्य |
| 11. | श्री राजाराम गाडेकर<br>मुक्तेश्वर संस्थान, अपूगांव,<br>मलाड (पश्चिम) मुम्बई | सदस्य |
| 12. | उप सचिव, समाधात निर्धारण,<br>पर्यावरण और वन मंत्रालय,<br>नई दिल्ली | सदस्य सचिव |

II. प्राधिकरण को तटीय क्षेत्रों में तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(i) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हो, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों और संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों द्वारा की जाने वाली कार्रवाईयों का समन्वय करना।

(ii) राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों और संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों से प्राप्त तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजनाओं में वर्गीकरण के परिवर्तन और उपांतरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उन पर केंद्रीय सरकार को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।

(iii) (क) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य नियम के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना।

(ख) ऊपर (iii) (क) के अधीन या तो स्वप्रेरणा से या पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर मामलों का पुनर्विलोकन करना।

(iv) आदेश के पैरा II के उपपैरा (iii) (क) के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायत फाइल करना।

(v) आदेश के पैरा II के उप पैरा (i), (ii) और (iii) से उद्भूत विवाद्यकों से संबंधित तथ्यों का सत्यापन करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण तटीय पर्यावरण के संरक्षण और सुधार से संबंधित विषयों में संबंधित राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सरकार/प्रशासन, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों, संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों को, और, जहां आवश्यक हो, अन्य संस्थाओं/संगठनों को, तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध करेगा।

IV. प्राधिकरण राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों और संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत की गई क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं, एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाओं और उनके उपांतरणों की परीक्षा करेगा और उसमें अपना अनुमोदन लेखबद्ध करेगा।

V. प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन प्रबंध से संबंधित विषयों में, नीति, नियोजन, अनुसंधान और विकास, उत्कर्ष केन्द्रों की स्थापना एवं वित्तपोषण पर सलाह दे सकेगा।

VI. प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन से संबंधित सभी पर्यावरणीय विवाद्यकों में का निपटान करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसको निर्दिष्ट किए जाएं।

VII. प्राधिकरण अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट और राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों तथा संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों के क्रियाकलापों की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को कम से कम छह मास में एक बार प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य, केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

IX. प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

X. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के विनिर्दिष्ट रूप से अंतर्गत न आने वाले किसी मामले का निपटान संबंधित कानूनों प्राधिकरणों द्वारा किया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आईए-III]

के. रौथ पौल, अपर सचिव